बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Citizen Services (नागरिक सुविधाओं) के बारे मे जानकारी भाग-6

भू-मापी हेतु आवेदन करने तथा स्थिति देखने की प्रक्रिया अब सरल एवं सुगम-पूर्णतः पारदर्शी

① https://emapi.bihar.gov.in/ को खोलें "apply for Mapi" पर क्लिक करें।

② आप अपना मोबाइल no की मदद से लॉगिन करें (अगर नए user है तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करें) तथा "apply mapi" पर क्लिक करें। अपना जिला, अंचल चुन कर "proceed" बटन पर क्लिक करें। फिर अपने जमाबंदी का हलका, मौज़ा, भाग संख्या, पृष्ठ संख्या भर कर "Get Reg-2" बटन पर क्लिक करें।

③ आपके जमाबंदी का विवरण दिखाई देगा। अब आप जिस जमीन की मापी करना चाहते है उसका खाता, खेसरा, रकबा भरकर "proceed" बटन पर क्लिक करें तथा आवेदक अपना पूर्ण विवरण दिये गए प्रपत्र में भरें तथा "save and next" बटन पर क्लिक करें।

④ अब रैयत मापी किए जाने वाले भूमि के चौहद्दीदार का विवरण भर कर "save and next" बटन पर क्लिक करें। अब आपको मापी के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति चाहते हों तो उसका विवरण भरने का विकल्प मिलेगा, जिसे भरकर "save and next" बटन पर क्लिक करें।

⑤ अब आपसे मापी आवेदन के पूर्व कुछ प्रश्नोत्तरी पुछे जाएंगे, जिसको भरकर "save and next" बटन पर क्लिक करें, तथा संबन्धित साक्ष्य की PDF प्रति अपलोड करें। "Self Declaration" की प्रति (आपके लॉगिन में self declaration प्रपत्र उपलब्ध है) अपलोड करना आवश्यक है।

⑥ अब आप declaration accept कर "save and next" बटन पर क्लिक करें, आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगा। जिस आवेदन संख्या से आप आवेदन की स्थिति पोर्टल पर उपलब्ध "Search Application Status" से देख सकते हैं।

अन्य सूचना:

- वैसे आवेदन जो पूर्ण रूप से नहीं भरे गए हैं, वो "Application Status" मेनू के अंतर्गत "Incomplete Forms" submenu में दिखाई देगा।
- वैसे आवेदन जो अंचलाधिकारी द्वारा मापी हेतु स्वीकृत कर आपको मापी फ़ीस जमा करने के लिए वापस की गई है, वो "Application Status" मेनू के अंतर्गत "Pending for mapi" submenu में दिखाई देगा। जहां आप "Proceed for Payment" पर क्लिक E-Payment विकल्प से मापी राशि का भुगतान करें तथा मापी की संभावित तिथि को भरें।
- अगर आप पेमेंट के उपरांत मापी की संभावित तिथि का चयन नहीं कर पाएँ है तो ऐसे में आप "Application Status" मेनू के अंतर्गत "Tentative Date" submenu से भर सकते हैं। संभावित तिथि भरने के उपरांत आवेदन स्वतः अंचलाधिकारी के समक्ष मापी की तिथि तथा अमीन निर्धारित हेतु अग्रसारित कर दी जाएगी।
- मापी पूर्ण होने के उपरांत मापी का प्रतिवेदन आवेदक Report मेनू के "view Mapi" सेक्शन से देख सकते है।